जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड

अधिनियम–2005 के अन्तर्गत

17 बिन्दुओं की सूचना/मैनुअल

<u>विन्दु–01</u> <u>संगठन की विशिष्टियों, कृत्य और कर्तव्य</u>

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय अल्मोडा का सक्षिंप्त इतिहास

1. जनपद अल्मोड़ा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जनपद होने के कारण यहॉ के नवयुवकों के रोजगार का मुख्य साधन सेना में सेवा करना है इसी कारण आबादी का एक बड़ा भाग सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों का है।

2. प्रथम विश्व युद्ध से ही इस जनपद के युवकों का सेना में बहुत योगदान रहा है। युद्ध की समाप्ति पर सेना विघटन के कारण अनेक सैनिक सेवा निवृत्त कर दिये गये। इन सेवानिवृत्त सैनिकों की देखभाल हेतु जिला सैनिक बोर्ड अल्मोड़ा का गठन किया गया।

3. द्वितीय विश्व युद्ध में जनपद के आबादी के बड़े भाग को सैन्य सेवा में लिया गया तथा युद्ध की समाप्ति पर पुनः सेवा में विघटन होने के कारण उन्हें जबरन घर भेज दिया गया। इस कारण सैनिक बोर्ड के कार्य में बढोत्तरी हो गयी।

4. 1947–48 के कश्मीर युद्ध तथा 1962 के चीन युद्ध में कुमॉऊ रेजिमेन्ट की पल्टनों ने सक्रिय भाग लिया। इन युद्धों में बहुत अधिक संख्या में सैनिक हताहत हुये तथा कई सैनिक स्थाई रूप से अंपग घोषित कर घर भेज दिये गये एवं बहुत से सैनिकों को वीरता के लिये अंलकृत भी किया गया। वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवारों/आश्रितों तथा अपंग सैनिकों के सम्पूर्ण कार्यों का दायित्व जिला सैनिक बोर्ड को सौंप दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैनिक बोर्ड के कार्य के महत्व को देखते हुये सन् 1965 में इसका प्रान्तीयकरण कर, इन्हें राज्य सरकार का प्रतिष्ठान घोषित कर कार्यालय का नाम जिला सैनिक, नाविक एवं वैमानिक परिषद कर दिया गया और जो कर्मचारी कार्यरत थे उन्हें राजकीय कर्मचारी घोषित कर दिया गया।

5. 1965 तथा 1971 के भारत पाक युद्धों के बाद इन कार्यालयों का युद्ध अपंग सैनिकों, वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं, आश्रितों तथा अन्य भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं पूर्व नियोजन दायित्व सौंप दिया गया तथा कार्यालय का पुनः नॉमाकन कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कर दिया गया एवं जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी का पद प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के रूप में सृजित किया गया है ।

कार्यालय की स्थिति तथा सम्पत्ति

कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, अल्मोडा स्थान चौघानपाटा, गांधी पार्क अल्मोडा के समीप स्थित है। कार्यालय के पास वर्तमान समय में पांच नाली सात मुटठी(लगभग 1/3 एकड) भूमि है। कार्यालय द्वारा दो सैनिक विश्राम गृह तथा एक भवन कार्यालय के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के हेतु टाइप–1 के तीन, टाइप–2 के चार तथा टाइप–3 के दो भवन उपलब्ध है। आवासीय भवन एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए डोरमैट्री तथा जीप गैराज के निर्माण हेतु कार्यालय द्वारा वर्ष 1989–90 में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा को रूपया 18,90,000.00/– उपलब्ध करा दिया गया था, लोक निर्माण विभाग द्वारा टाइप – 1 के तीन तथा टाइप – 2 के चार भवन कार्यालय को स्थानांतरित कर दिये गये। नवसृजित उत्तराखण्ड राज्य गठन के कारण उपरोक्त धनराशि में से रू0 1,30,000.00/– जो अवशेश रह गया था उसका उपयोग लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा द्वारा पूर्ण कर लिया गया तथा डोरमैट्री एवं टाइप – 3 के दो भवन, दिनांक 11 मई, 2005 कार्यालय को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। सैनिक विश्राम गृह चौखुटिया का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, अल्मोड़ा द्वारा रू0 17.69 लाख (रूपये सत्रह लाख उनहत्तर हजार मात्र) में किया जा चुका है जिसका लोकार्पण, माननीय मुख्य मंत्री जी उत्राखण्ड द्वारा दिनांक 14 अप्रैल, 2011 को हुआ ।

जनपद के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों की सूची।

1.	आन0ले0 राम सिंह बुराथोकी	:	1939 से पूर्व
2.	सूबे0 श्री प्रसाद थापा	:	1939–1946
3.	मेजर शिव चन्द्र कोठारी	:	1947 –1952
4.	मेजर के0सी0ठाकुर	:	1953–1954
5.	ले0 हरीश चन्द्र सिंह विष्ट	:	1954– 1978
6.	ले0 कर्नल सी0 सी0 पन्त	:	1978–1983
7.	मेजर जे0 एस0 ठाकुर	:	1983–1986
8.	मेजर आर0 के0 थोमस	:	18–07–86 से 15–05–1987
9.	ले0 कर्नल एम 0एस0 बसेड़ा	:	04–01–89 से 23–05–90
10.	ले0 कर्नल लक्ष्मण सिंह	:	15–06–90 से 10–07–92
11.	ले0 कर्नल बी0 एस0 मेहता	:	11–07–92 से 30–06–93
12.	मेजर आर0एस0 रावत	:	12–07–93 से 19–07–99
13.	कंमान्डर गजेन्द्र वर्मा	:	16–09–02 से 09–01–03
14.	ले0 कर्नल एम0एस0 मेहरा	:	06–02–03 से 12–01–05
15.	मेजर करन सिंह (अतिरिक्त प्रभार)	:	13–01–05 से 31–03–05
16.	ले0 कर्नल एच0एस0बिष्ट	:	01–04–05 से 31–03–07
17.	ले0 कर्नल एस0एस0 विष्ट	:	01–04–07 से 07–08–07
18.	ले0 कर्नल डी0बी0 थापा	:	08–08–07 से 22–06–10
19.	ले0 कमान्डर एन0एन0 त्रिपाठी	:	23–06–10 से 08–08–2012
20.	कर्नल (अ0प्रा0) आर0पी0जोशी	:	09–08–2012 से अब तक

विन्दु 02 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के कर्तव्य

1. केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से पूर्व सैनिकों/आश्रितों को रोजगार/स्वरोजगार एवं कल्याण संबंधी सहयोग प्रदान करना।
2. विभिन्न निधियों का संचालन एवं कल्याणकारी कार्यों में नियमानुसार सदुपयोग।
3. राजकीय/निजी क्षेत्र के अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों एवं सामाजिक संगठनों से सत्त सम्पर्क करके कल्याण हेतु संसाधन जुटाना एवं पुर्नवास संभावनाएं तलाशना।
4. जिला/मण्डल स्तरीय बैठकों तथा पूर्व सैनिक पुर्नमिलन समारोंहों का आयोजन करना।
5. तहसील एवं ब्लाक स्तर तक राजकीय योजनओं की जानकारी सैनिकों के सूचनार्थ पहुचाना।
6. शहीद/अपंग तथा अलंकृत सैनिकों/आश्रितों तक देय सुविधाओं को पहुचाना।
7. सैनिक कल्याणार्थ, पूर्व सैनिक कल्याण निगम एवं उत्तरांचल सैनिक पुनर्वास निधि की योजनाओं का प्रचार–प्रचार करना तथा उनका लाभ पात्रों तक पहुचाना।
8. कार्यालय अधिष्ठान के कर्मचारियों को सही नेतृव प्रदान उन्हें कल्याणाकारी कार्यो के प्रति उन्मूख करना तथा प्रशासनिक नियंत्रण रखना।
9. कार्यालय की सम्पति एवं अभिलेखों की सुरक्षा एवं रख–रखाव।
10. शासकीय एवं विभागीय निर्देशों का अनुपालन करना एवं कराना।

11. जनपद मुख्यालय एवं आस–पास के उन तमाम कार्यो से सम्पर्क बनाये रखना जो सैनिक हित साधन में उपयोगी हों उदाहरण के लिएः–

जिलाधिकारी, परगनाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक/पुलिस अधीक्षक मुख्य चिकित्साधिकारी, स्थानीय राजकीय अस्पताल स्थानीय सैन्य मुख्यालय, सैनिक अस्पताल, प्रबन्धक अग्रणी बैंक, रीजनल प्रबन्धक राष्टीयकृत ग्रामीण बैंक, सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, महानगर पालिकायें, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सामाजिक संगठनों क्लबों के अध्यक्ष, व्यापार मंण्डल अध्यक्ष, जिला कोषाधिकारी, डी0पी0डी0ओ0, जिला सेवायोजन अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र तथा जिला सूचना अधिकारी।

<u>सहायक अधिकारी के कर्तव्य</u>

1. सैनिक बाहुल्य जनपदों/तहसील में उप–कार्यालय(सब आफिस) की स्थापना करना।
2. वित्तीय समस्याओं जैसे पेंशन, रिटायरमेन्ट/रिलीज बेनिफिटस तथा पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से सम्बनधित मामलों का निस्तारण करना।
3. तहसील/ब्लाक स्तर के कार्यालय से सर्म्पक करना।
4. पेंशन देने वाली संस्थाओं में तहसील स्तर पर सम्पर्क तथा पूर्व सैनिकों को मिलने वाली पेंशन, उनके आश्रितों को दी जाने वाली रिलिफ आदि को सही एवं समय से दिलाना।
5. भूमि तथा अन्य विवादों के सम्बन्ध में सहायता करना।
6. सेवारत सैनिकों के परिवारों की देख–भाल करना।
7. पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में इलाज आदि कराने में सहायता करना।
8. युद्व विधवाओं व उनके आश्रितों तथा युद्व अपंग सैनिको का रजिस्टर तैयार करना ताकि उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके तथा उनका समुचित कल्याण किया जा सके।
9. लघु उद्योग स्थापित करने के इच्छुक पूर्व सैनिकों को सहायता दिलाने के लिए खण्ड विकास अधिकारी तथा उद्योग विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करना।

10. युद्व विधवाओं व उनके आश्रितों, युद्व में अपंग सैनिकों तथा उनके आश्रितों, युद्व में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों जो सैन्य सेवाकाल में अपंग या मृत्यु को प्राप्त हो गये हैं उनके आश्रितों को पुनर्वास सुविधाऐं प्रदान कराना।
11. जिले में झण्डा दिवस का आयोजन कराना तथा धन एकत्रित कराना।
12. सेना की भर्ती का व्यापक प्रचार–प्रसार करना तथा लोगों को सेवा शर्तों का ज्ञान कराना।
13. रक्षा कार्यालयो से की जाने वाली पूछताछ का सत्यापन करना।
14. पुनर्मिलन समारोह आदि के आयोजन में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी की सहायता करना।
15. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो को पूर्ण करना।

कल्याण कार्यकर्ता के कार्यकलाप

1. भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त सुविधाओं का प्रचार करना।
2. सेना में होने वाले भर्ती को प्रोत्साहन देना।
3. अभिलेख कार्यालय से जो निर्देश प्राप्त होते हैं उनका पूर्व व सेवारत सैनिकों के आश्रितों को ज्ञान कराना।
4. वित्तीय सहायता के प्रार्थना पत्रों की जांच कराना।
5. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी को पूर्व सैनिकों/सेवारत सैनिकों तथा उनके आश्रितों के कठिनाई सम्बन्धी मामलों से अवगत कराना।
6. मेडलों का वितरण करना।
7. सामूहिक बीमा योजना/भविष्य निधि/पेंशन के मामले जो भारत सरकार, अभिलेख कार्यालय द्वारा भेजे जाते हैं उनकी जांच करना।
8. शिकायत,डिस्र्चाज, स्थानान्तरण, छुटटी के प्रार्थना पत्रों का सत्यापन करना जिससे समय की बचत हो सके और सेवारत सैनिकों के मनोबल को ऊंचा रखा जा सके।
9. पूर्व सैनिकों को जो सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं उनसे पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को अवगत कराते रहना।
10. सैनिक पुनर्मिलन समारोह के आयोजन में पूर्व सैनिकों की सहायता करना।

11. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा सौंपे गये सभी कार्यो का निस्तारण करना।
12. पूर्व सैनिक तथा उनकी विधवाओं से सम्बनधित यदि कोई पुलिस या जमीन सम्बन्धी मुकदमा हो तो थानाध्यक्ष/पटवारी तथा उनसे सम्बन्धित अधिकारियों से मिलकर मुकदमें का निपटारा करवाना।

<u>अधिकारी एवं कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य</u>

अधिकारीः– कार्यालय में आने वाले पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं एवं आश्रितों के कार्यों का समय पर निस्तारण करने हेतु सभी कर्मचारियों अलग–अलग कार्य करने हेतु निर्देश दिया जाना तथा उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का समय–समय पर निरीक्षण करना यदि कर्मचारीयों द्वारा आने वाले आगन्तुकों की समस्याओं का समाधान करने में यदि कोई परेशानी हो रही हो तो उस समय आगन्तुकों का सही मार्गदर्शन करना।

<u>सहायक अधिकारीः</u>– आने वाले पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं के परिचय पत्र, रोजगार हेतु पंजीकरण, शैक्षिक सहायता, पुत्री विवाह, मकान मरम्मत हेतु अनुदान, ऋण पर छूट, रोजगार हेतु नाम भेजना, राष्ट्रीय बचत, कारगिल पेंशन तथा अन्य छोटे–छोटे कार्यों के अतिरिक्त समस्त सामग्री की देखरेख तथा अधिकारी के निर्देशानुसार विकास खण्डों एवं तहसीलों में भ्रमण पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं एवं आश्रितों की समस्याओं का निराकरण करना।

<u>प्रशासनिक अधिकारी, ग्रेड–2</u> :–

<u>प्रशासनीक अधिकारी 1</u>:– अधिष्ठान, सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का रख–रखाव, समयमान–वेतनमान, स्थाईकरण तथा स्थानान्तरण का संपादन किया जाना।

<u>प्रधान सहायक–</u> :– द्वितीय विश्व युद्ध, उपनल कार्मिकों की पत्रावलियो का रख–रखाव, सूचना का अधिकार, द्वितीय विश्व युद्व लेखा,, मासिक रिपोर्ट तथा कम्पयूटर कोर्स, सैनिक परिषद के बैठक का आयोजन करना तथा अधिकारी द्वारा दिये गये कार्य ।

<u>वरिश्ठ सहायक–</u> :– वेतन, यात्रा भत्ता, बजट, लेखा संबंधी कार्य, सामग्री क्रय करना तथा कम्प्यूटर कार्यों का संपादन किया जाना।

कनिष्ट सहायक–1 पारिवारिक पेंशन, आवासीय सहायता, वीरचक्र श्रंखलान्तर्गत देय धनराशि को वितरित करना तथा युद्ध में शहीद सैनिकों/सैनिक विधवाओं तथा युद्ध में हुए विकलांग पूर्व सैनिकों का लेखा जोखा रखना, द्वितीय सेवा पुस्तिका अभिलेखों से मगॉना।

कनिष्ट सहायक–2 झंडा दिवस, विश्राम गृह का लेखा ,पूर्व सैनिकों का पंजीकरण, भाग दो आदेश, आश्रित प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्टेशनरी स्टाक रजिस्टर तथा डाक डायरी का लेखा ।

कनिष्ट सहायक–3 छात्रवृत्ति, पुत्री विवाह तथा पुनर्वास संस्था से मिलने वाली आर्थिक सहायताओं का लेखा जोखा रखना ।

वाहन चालक :– अधिकारी के निर्देशानुसार दिये गये स्थान तक वाहन ले जाना व कार्यालय में वापस आकर वास्तविक स्थिति से अवगत कराना।

कल्याण कार्यकर्ता 02 :– पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं एवं आश्रितों के कल्याणार्थ बिंदुओं पर तहसील एवं विकास खण्ड स्तर पर जाकर उनका निस्तारण करना तथा कार्यालय में पेंशन न प्राप्त करने वाले पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं को उनके तथा उनके परिवार के भरण–पोषण हेतु उनको अलग–अलग श्रोतों से आर्थिक सहायता अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराना, इसके अतिरिक्त कार्यालय में आने वाले समस्त आगन्तुकों का आगन्तुक पुस्तिका में पंजीकरण करना।

अनुसेवक :– के द्वारा कार्यालय से बाहर जाने वाली डाक का समय पर वितरण करना तथा प्रातः कार्यालय खुलने के उपरान्त से कार्यालय बंद होने तक कार्यालय की समस्त सामग्री का ध्यान रखना तथा चौकीदार के अवकाश अवधि में उसके कार्यों का निस्पादन करना तथा कार्यदिवस के दिन सायं 5 बजे चौकीदार की उपस्थिति में कार्यालय को बन्द करेगें त्दोपरान्त कार्यालय की चाबी वरिष्ठ लिपिक को सौपेगें।

चौकीदार :– कार्यालय को बंद करने से कार्यालय खुलने तक कार्यालय की समस्त सामग्री का ध्यान रखना तथा कार्यालय परिसर में किसी भी असंवैधानिक व्यक्ति को न आने देना, परिसर में स्थित समस्त आवासीय भवनों की देखभाल करना तथा प्रातः कार्यालय खुलने पर अनुसेवक के साथ कार्यालय की सफाई तथा कार्यालय क्षेत्र में आने वाले स्थानों की पूर्ण रूप से सफाई करवाना तथा सैनिक विश्राम गृह में

रात्रि विश्राम हेतु ठहरने वाले पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं एवं आश्रितों यथा संभव स्थान दिलाना तथा उनको दिये जाने वाली समस्त सुविधाएँ उपलब्ध कराना, इसके अतिरिक्त आने–जाने वालों का लेखा– जोखा रखना। रात्री एवं दिन में कार्यालय तथा कार्यालय के सम्पूर्ण परिसर की देख रेख करेगें यदि कोई घटना घटित होती है तो परिसर में रहने वाले वरिश्ठ लिपिक को यथासमय अग्रिम कार्यवाही हेतु अवगत करायेगे। इसके साथ–साथ प्रातः 9.30 बजे मुख्य सहायक से चाबी लेकर कार्यालय खोलकर अनुसेवक द्वारा अपनी उपस्थिति में कार्यालय की सफाई करवायेगें ।

अर्दली :– कार्यालय में आने वाले पूर्व सैनिकों का नाम आगन्तुक पंजिका में नाम अकित कराना तथा अधिकारी द्वारा दिये गये निदेर्शो का पालन करना।

वरिष्ठ अनुसेवक :– के द्वारा कार्यालय खुलने पर कार्यालय के समस्त कक्षों तथा कार्यालय के बाहरी स्थानों की पूर्ण रूप से सफाई करना जिसमें सैनिक विश्राम गृह भी सम्मिलित है तथा कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा न प्रयोग किये गए कागजों का पूर्ण रूप से नश्ट करना

कार्यालय द्वारा बिडिंग कराया जाना :– उत्तराचल शासन शासनादेश संख्या 244/XXXi (2)G/2005 दिनांक 23 अप्रैल, 2005 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में पत्रावलियां एवं रजिस्टरों का नश्ट किये जाने का समय निर्धारित किया गया है जिन्हें समय–समय पर बिडिंग कर उनका अभिलेख नियमानुसार बिडिंग रजिस्टर में अंकित किया जाना है। कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अल्मोडा ,द्वारा 21 फरवरी 2013 को बिडिंग करायी गयी तथा उसका लेखा बिडिंग रजिस्टर में अंकित किया गया।

विन्दु 03

लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना ।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा समय–समय पर पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं एवं अश्रितों की समस्याओं के निराकरण तथा उनके कल्याणकारी योजनाऐं जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का प्रविधान है को समय–समय पर दैनिक प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों तथा आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाता है इस हेतु सभी पूर्व सैनिको को अधिक जानकारी हेतु दूरभाण संख्या– 05962–232210 पर सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया जाता है । उत्तराखंड सरकार द्वारा दिये गये शासनादेशों के अनुसार कार्य किया जाता है ।

विन्दु–04

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या अनके प्रतिनिधित्व के लिय विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना ।

नीति विशयक समस्त प्रकरण निदेशक/अपीलीय अधिकारी कर्नल (अ0 प्रा0) आर0पी0सिंह, निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड द्वारा किये जाते है, जिला सैनिक कल्याण/लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई भी नीति नहीं बनाई जाती है ।

विन्दु–05 दस्तावेजों, जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, श्रेणियों के अनुसार विवरण,

कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अल्मोड़ा द्वारा किये जाने वाले कार्य

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा जनपद के सभी सेवारत सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों, सैनिक विधवाओं एवं आश्रितों के सभी कल्याणार्थ कार्यों का सम्पादन किया जाता हैः–

क. <u>परिचय पत्र</u> :– ऐसे सेवानिवृत्त सैनिक जो निम्न पात्रता रखते हों वे ही भूतपूर्व सैनिक की परिभाशा में आते हैं उन्हीं भूतपूर्व सैनिक/ सैनिक विधवायें के परिचय पत्र बनाया जाते हैं :–

1. 01 जुलाई 1968 से पूर्व सेवानिवृत्त हुये ऐसे व्यक्ति जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में किसी भी पद पर सेवा की हो और उसे सेवामुक्त किया गया हो बशर्ते उसे बुरे आचरण से सेवामुक्त न किया गया हो।

2. 01 जुलाई 1968 के बाद एवं 01 जुलाई 1979 से पूर्व सेवामुक्त हुये ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा किसी भी संघ में कम से कम 6 माह तक लगातार सेवा की हो।

3. 01 जुलाई 1979 के बाद एवं 01 जुलाई 1987 से पूर्व ऐसे व्यक्ति जिसने अपने अनुरोध की अपेक्षा अन्य कारणों से सेवामुक्त किया गया हो तथा संघ में 06 माह तक लगाातार सेवा की हो और यदि अपने अनुरोध पर सेवामुक्त हुआ हो तो कम से कम 5 वर्श की सेवा अनिवार्य हो।

4. 01 जुलाई 1987 या उसके बाद ऐसे व्यक्ति जिसने भारत संघ की थल सेना, नौ सेना और वायु सेना में किसी भी पद पर कार्य किया हो और अपने अनुरोध की वजाय रक्षा बजट से किसी भी प्रकार के साथ सेवामुक्त हुआ हो या अपने अनुबन्धित कार्यावधि पूर्ण होने पर ग्रेच्युटी के साथ सेवामुक्त हुआ हो।

5. इसके अतिरिक्त प्रादेशिक सेना के विभिन्न श्रेणी के कार्यक्रमों जैंसे सतत् अंगीभूत सेवा के पेंशनधारक, सैनिक सेवा के कारण अपंग वे व्यक्ति और 15 नवम्बर 1986 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुये शौर्य पुरस्कार विजेता तथा सेना डाक सेवा के वे कार्मिक

जो नियमित सेना के अंग है और ऐसी सेवा से सीधे ही 19 जुलाई 1989 से सेवानिवृत्त हुये हैं या जो ऐसी से सैनिक सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त हुये हों।

6. इन सभी श्रेणियों के कार्मिक जो कदाचार या अकुशलता के कारण सेवामुक्त कर दिये हों वे भूतपूर्व सैनिक नहीं होंगें इसके साथ ही रिक्रुट व कैडेट पूर्व सैनिक नहीं माने जायेंगें लेकिन उनका नाम पंजीकृत किया जायेगा।परिचय पत्र बनाते समय सेवानिवृत्त सैनिक/सैनिक विधवा को अपने साथ सेवाविवरण पुस्तिका, पेंशन पट्टा तथा 4 फोटोग्राफ के साथ कार्यालय में सम्पर्क करना होगा तदोपरान्त ही उनका परिचय पत्र कार्यालय द्वारा बनाया जायेगा।

ख. **पंजीकरण**: सेवानिवृत्त सैनिकों/ सैनिक विधवाओं का रोजगार हेतु पंजीकरण किया जानाः– इस हेतु उन्हें अपना परिचय पत्र व सेवाविवरण पुस्तिका तथा शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगें।

ग. **स्व रोजगार**: वे भूतपूर्व सैनिक/सैनिक विधवायें जो अपने स्वतः रोजगार हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण लेना चाहते हैं उन्हें निम्न दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होना होगाः–

1. सेवा विवरण पुस्तिका
2. पेंशन पट्टा
3. परिचय पत्र
4. जिस बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे हों वहॉ का अनापत्ति प्रमाण पत्र
5. जिला उद्योग केन्द्र से स्व रोजगार हेतु किये जाने वाले कार्य का आगणन

घ. **द्वितीय परिचय पत्रः** जिन भूतपूर्व सैनिक/सैनिक विधवा का प्रथम परिचय पत्र खो गया हो उनके द्वारा पटवारी/पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट, सेवा विवरण पुस्तिका तथा एक फोटोग्राफ के साथ कार्यालय में उपस्थित होना होगा तथा उनके द्वारा द्वितीय परिचय पत्र बनवाने

हेतु रू0 50.00 रक्षा मत्रालय के में जिला सैनिक कल्याण के माध्यम से जमा किया जाता है । पर तृतीय परिचय पत्र बनाये जाने हेतु उनके द्वरा उक्त प्रपत्र लाने होगें तथा रू0 125.00 रक्षा मत्रालय में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से जमा किया जाता है होगा जिसकी उनको प्राप्ति रसीद कार्यालय द्वारा दी जायेगी।

ङ. **द्वितीय सेवानिवृत्त पुस्तिकाः** यदि किसी भूतपूर्व सैनिक की सेवाविवरण पुस्तिका खो जाती है तो उसको प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाना होता है, भूतपूर्व सैनिक या उसकी विधवा द्वारा द्वितीय सेवानिवृत्त पुस्तिका पाने हेतु अपने अभिलेख कार्यालय को दो प्रतियों में प्रार्थना पत्र सैनिक कल्याण के माध्यम से लिखना होगा तथा 2 फोटो यदि सैनिक जीवित हो तो पत्नी के साथ और यदि सैनिक का स्वर्गवास हो गया हो तो विधवा की फोटो पीछे की तरफ से ग्राम प्रधान के द्वारा प्रमाणित कराकर अपने परिचय पत्र के साथ कार्यालय में आना होगा।

च. **पता परिवर्तनः** यदि पूर्व सैनिक/सैनिक विधवाओं को जनपद के बाहर किसी अन्य जनपद में स्थाईरूप से निवास कर रही है और उनके द्वारा पता परिर्वतन करवना हो तो उन्हें नये जनपद के सैनिक कल्याण विभाग द्वारा चार प्रतियों में घोषणा पत्र भरवाकर तथा अपने सैन्य सैवा पुस्तिका के साथ अपने पूर्व जनपद को भेजना होगा। तद्ोपरान्त उसके पूर्व जनपद के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा उसका पूर्व पता सत्यापित करते हुऐ उसके प्रपत्र सेवा विवरण के साथ पता परिर्वतन हेतु उसके अभिलेख कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेगे।

बिन्दु–06 बोर्डों, परिषदों , समितियों और अन्य निकायों का विवरण । साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डो, समितियों और, अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी ।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा जिला सैनिक परिषद की बैठक वर्ष में चार बार करायी जाती है जिसमें प्रत्येक विकास खण्ड से एक–एक प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष सैनिक परिषद जो कि जनपद के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी होते है तथा जिलाधिकारी परिषद के अध्यक्ष होते है, इसके अतिरिक्त जनपद के कोई भी पूर्व सैनिक इस बैठक हेतु अपने बिन्दु अपने विकास खण्ड प्रतिनिधि अथवा कार्यालय मे प्रेषित कर सकते है । इस बैठक में उठाये जाने वाले बिन्दुओं पर सचिव सैनिक परिशद/सैनिक कल्याण अधिकारी तथा अध्यक्ष/जिलाधिकारी के माध्यम से निस्तारण कराया जाता है ।

बिन्दु–07 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ

नाम :– कर्नल (अ0प्रा0) आर0 पी0 जोशी ।

पदनाम :– जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी अल्मोड़ा।

विशिष्टियां :– सम्पूर्ण कार्यालय का संचालन किया जाना।

बिन्दु–08 निर्णय करने की प्रकिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित) ।

इस विभाग में जनपद स्तरीय एक ही कार्यालय होता है जिसके अन्तर्गत जिला सैनिक कल्याण अधिकारी समस्त पूर्व सैनिकों के हितार्थ निर्णय करने में सक्षम है जिस विषय पर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी निर्णय लेने में असमर्थ होते है उन्हें निदेशक महोदय के निर्णयार्थ प्रेषित कर दिया जाता है ।

बिन्दु–09 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

क0सं0	वर्ग	अधिकृत पद	भरे पद	अतिरिक्त	रिक्त पद	टिप्पणी
01.	अधिकारी	01	01	—	—	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संविदा पर नियुक्त
02.	सहायक अधिकारी	01	01	—	—	01 उपनल के माध्यम से
03.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2	01	—	—	01	दिनांक 04 सितम्बर 2012 से रिक्त है
04.	प्रधान सहायक	01	01	—	—	—
04.	वरिश्ठ सहायक	01	01	—	—	
05.	कनिष्ठ सहायक	03	03	—	—	03 उपनल के माध्यम से
06.	कल्याण कार्यकर्ता	02	02	—	—	02 उपनल के माध्यम से
07.	वाहन चालक	01	01	—	—	01 उपनल के माध्यम से
08.	अनुसेवक	01	01	—	—	01 उपनल के माध्यम से
09.	अर्दली	01	01	—	—	01 उपनल के माध्यम से
10.	चौकीदार	04	04	—	—	03 उपनल के माध्यम से तथा एक राजकीय कर्मचारी
11.	चौकीदार / स्वच्छक	—	—	—	—	राजकीय कर्मचारी
12.	स्वच्छक	02	02	—	—	01 उपनल के माध्यम से तथा एक राजकीय कर्मचारी
	योग	19	18	—	01	—

<u>ब्लाक प्रतिनिधियों की नियुक्ति–</u> जिला सैनिक कल्याण कार्यालय एवं दूर दराज इलाके में रहने वाले पूर्व सैनिकों के मध्य सेतु का कार्य करने के लिए प्रत्येक ब्लाक में एक पूर्व सैनिक ब्लाक प्रतिनिधि की नियुक्ति की गयी है जिसके लिए उन्हे प्रत्येक माह में ₹ 4000/– का मानदेय देय है इसके अतिरिक्त प्रत्येक

ब्लाक में इनको कार्य करने हेतु स्थान भी उपलब्ध कराया गया है । प्रत्येक ब्लाक प्रतिनिधि को अपने जिले के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय एवं पूर्व सैनिकों के मध्य मेल मिलाप रखने हेतु मोबाइल फोन की सुविधा प्रदान की गयी है जो कि निम्नवत है :–

विकास खण्ड पूर्व सैनिक प्रतिनिधियों की सूची और मोबाइल नम्बर जनपद –अल्मोडा

क0स0	सेना का न0	पद	नाम	पता	विकास खण्ड का का नाम	नोकिया नं0–1203 मोबाईल सिम एवं एवं चार्जर सहित कुल सं0	दूरभाषा नं0 जिला सैनिक कल्या एवं पुनर्वास,	दूरभाषा न0 स्वयं का
1	जे.सी.–403328	नायब सूबेदार	गणेश सिंह	ग्राम–पान्डे खोला निकट पैट्रोल पम्प के पास अल्मोडा	हवलबाग	एक	9410321199	9758653116
2	जे.सी.–241728	ना0सूबेदार	राजेन्द्र सिंह	ग्राम–धौलनैली पोस्ट–चरचाली खान अल्मोडा	भैसियाछाना	एक	9410321073	8958707682
3	4181902	हवलदार	पान सिंह	ग्राम–एवं पोस्ट–ध्यूली, जलना, जैती अल्मोडा	लमगडा	एक	9410321678	9927942109
4	जै0सी0 348898	सूबेदार	फकीर सिंह	ग्रम पीपलगॉव पोस्ट– कोटागिवाडी अल्मोडा	भिकियासैण	एक	9410321058	9410772867
5	4175782	हवलदार	विशन सिंह	ग्रम–पाली पो0ओ0–गनियाधोली रानीखेत अल्मोडा	ताडीखेत	एक	9410321103	9761991725
6	जे0सी0 258721	सूबेदार	विपिन चन्द्र मुगंली	ग्राम–मझेडा पे0ओ0–मनान	ताकुला	एक	9410321636	9456158993
7	4180054	हवलदार	बहादुर सिंह नेगी	ग्राम एवं पोस्ट–खडल गॉव अल्मोडा	स्यादे	एक	9410321477	9457856363
8	4551697	हवलदार	हरि सिंह भण्डारी	ग्रम'–भण्डर गॉव पोस्ट–बग्वालीपोखर	द्वाराहाट	एक	9410321174	8958735287
9	8025000	हवलदार	महेश चन्द्र	ग्रम– रीठा पो0ओ0–टुकरा, अल्मोडा	सल्ट	एक	9410321046	9458481757
10	जे0सी0 14232358	सूबेदार	पूरन चन्द्र पान्डे	ग्राम–चिमार खॉ पो0ओ0–तापनी अ	धौलादेवी	एक	9410321045	9411305712
11	जे.सी.–810062	सूबेदार	किशन सिंह	ग्राम–पो0ओ0–गनाई चौखुटिया अल्मोडा	चौखुटिया	एक	9410321416	9675707696

नोट–एक मोबाइल सिम कार्ड चार्जर सहित सैनिक कल्याण कार्यालय में मोबाइल नं0–941032151

बिन्दु 10– अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उनके निर्धारण की पद्धति.

क0 सं0	सेना का पद	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	विभाग में नियुक्ति की तिथि	जन्म तिथि	जिले में नियुक्ति की तिथि	मूल वेतन	अन्य भत्ते	कुल
01.	कर्नल (अ0प्रा0)	आर0पी0जोशी	09–01–2012	29–12–1954	09–08–2012	39,100.00	31,820.00	70,920.00
02.	आ0 कप्तान	बी0एस0नयाल, सहायक अधिकारी	17–04–2006	02–04–1956	17–04–2006	7,600.00	6,320.00	13,920.00
03	राजकीय कर्मचारी	श्री प्रकाश चन्द्र मासीवाल,प्रधान सहायक	25–06–1997	04–02–1973	15–11–2011	13,940.00	13,682.00	27,622.00
04	राजकीय कर्मचारी	श्री महेश चन्द्र भट्ट, वरिश्ठ सहायक	08–10–1997	05–06–1967	13–06–2005	10,890.00	9,062.00	19,952.00
05	हव0 लिपिक	राजेन्द्र सिंह विष्ट, कनिष्ठ सहायक	24–12–2004	10–07–1961	24–12–2004	7,200.00	6,900.00	14,100.00
06	हव0 लिपिक	महिपाल सिंह विष्ट, कनिष्ठ सहायक	12–02–2008	31–08–1966	12–02–2008	7,200.00	6,900.00	14,100.00
07	सूबे0 लिपिक	पूरन चन्द्र लोहनी, कनिष्ठ सहायक	04–08–2010	01–11–1963	04–08–2010	7,200.00	6,900.00	14,100.00
08	शिक्षा हवलदार	पूरन सिंह मेहता, कल्याण कार्यकर्ता	27–12–2004	01–07–1962	27–12–2004	7,000.00	6,680.00	13,680.00
09.	पी0ओ0	हेमन्त लाल वर्मा कल्याण कार्यकर्ता	03–08–2010	15–03–1969	03–08–2010	7,000.00	6,680.00	13,680.00
10.	नायक	मदन सिंह, वाहन चालक	01–06–2008	07–12–1966	01–06–2008	7,100.00	5,870.00	12,970.00
11	नायक	देवेन्द्र कुमार, अनुसेवक	28–02–2009	17–01–1973	28–02–2009	7,000.00	6,680.00	13,680.00
12.	हवलदार	इन्द्र सिंह , चौकीदार	12–02–2008	01–01–1965	12–02–2008	7,000.00	5,780.00	12,780.00
13.	नायक	जगत सिंह बोरा, चौकीदार	13–10–2008	22–10–1962	22–10–2008	7,000.00	6,680.00	13,680.00
14.	एल0टौप0	विनोद कुमार, स्वच्छक	12–02–2008	10–12–1964	12–02–2008	7,000.00	6,680.00	13,680.00
15.	राजकीय कर्मचारी	श्री मनोद सिंह नगरकोटी, चौकीदार	09–10–2001	19–11–1982	05–09–2007	9,050.00	7,420.00	16,470.00
16.	सैनिक विधवा आश्रित	श्रीमती चम्पा देवी, अर्दली	12–02–2008	24–07–1983	12–02–2008	7,000.00	5,780.00	12,780.00
17	राजकीय कर्मचारी	श्रीमती अन्जू , स्वच्छक	01–12–2007	30–04–1977	01–12–2007	6,050.00	4,990.00	11,040.00
18	नायक	श्री सुरेश राम, चौकीदार	16–06–2011	20–01–1974	16–06–2011	7,000.00	6,680.00	13,680.00

अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उनके निर्धारण की पद्धति निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड द्वारा किये जाते हैं।

<u>विन्दुः– 11 प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (सभी योजनाओं व्यय आवंटित बजट प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना सहित) ।</u>

<u>कार्यालय बजट</u>

मद संख्या मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल आवंटित धनराशि	31 मई 2013 तक कुल व्यय की गई धनराशि	समर्पित धनराशि
1	2	3	3
01 वेतन	25,00,000.00	8,09,850.00	
02 मजदूरी	–	–	
03 मॅहगाई भत्ता	5,00,000.00	1,70706.00	
04 यात्रा भत्ता	25,000.00	540.00	
05 स्थानांतरण यात्रा व्यय	–	–	
06 अन्य भत्ते	30,000.00	11,040.00	
07 मानदेय	–	–	
08 कार्यालय व्यय	30,000.00	4,843.00	
09 विद्युत देय	20,000.00	3,818.00	
10 जलकर/जलप्रभार	7,000.00	–	
11 लेखन सामग्री,एवं फार्मो की छपाई	13,000.00	–	
12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	–	–	
13 टेलीफोन पर व्यय	15,000.00	4,192.00	
15 गाडियों का अनुरक्षण	30,000.00	4,904.00	
16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये	–	–	
17 किराया उपशुल्क/कर स्वामित्व	–	–	
18 प्रकाशन	–	–	
19 विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	3,000.00	–	
22 आतिथ्य व्यय विशयक भत्ता	1,000.00	–	
26 मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	–	–	
27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	–	–	
29 अनुरक्षण	–	–	
42 अन्य व्यय	1,000.00	–	
44 प्रशिक्षण व्यय	–	–	
45 अवकाश यात्रा व्यय	–	–	
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी क्रय	7,000.00	–	
योग	**31,82,000.00**	**10,09,893.00**	

मद संख्या मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2013–2014 में कुल आवंटित धनराशि	कुल व्यय की गई धनराशि	समर्पित धनराशि
0304–सैनिक महिला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना–42–अन्य व्यय	0	0	0
0305–विभिन्न युद्धों/सीमान्त झडपों के शहीद सैनिकों की विधवाओं/अपंग सैनिकों को देय आवासीय सहायता 42–अन्य व्यय	0	0	0
0306–विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार अनुदान–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता	–	–	
0307–वार–टू–सेना मेंडल के पुरस्कार प्राप्त राज्य के सैनिकों को एकमुश्त अनुदान/एन्युटी, 42–अन्य व्यय	–	–	
0308–वीर चक्र श्रंखला विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा देय एकमुश्त नकद पुरस्कार–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	–	–	
0309–उत्तराखण्ड के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रित विधवाओं को पेंशन–42–अन्य व्यय	83,88,000.00	23,85,000.00	
0311–पूर्व सैनिकों /उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक प्रशिक्षण–42– अन्य व्यय	–	–	
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मानदेय ब्लॉक प्रतिनिधि	5,28,000.00	1,00,000.00	
योग	**89,16,000.00**	**24,85,000.00**	

<u>भर्तिपूर्व प्रशिक्षण</u> :–

मद संख्या मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल आवंटित धनराशि	कुल व्यय की गई धनराशि	समर्पित धनराशि
1	2	3	4
01 वेतन	3,00,000.00	48,583.00	
08 कार्यालय व्यय	10,000.00	9,995.00	
09 विद्युत देय	7,500.00	1,800.00	
10 जलकर／जलप्रभार	4,400.00	800.00	
11 लेखन सामग्री,एवं फार्मो की छपाई	15,000.00	2,397.00	
12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	—	—	
17 किराया उपसुक्त／कर सामित्व	25,000.00	5,400.00	
31 सामग्री एवं समपूर्ति	3,00,000.00	1,37,200.00	
योग	**6,61,900.00**	**2,06,175.00**	

बिन्दु–12 अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमो (Subsidy Programmes) के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है ।

वीरता पदक विजेता

क0 सं0	पदक	संख्या
1.	वीर चक्र	02,
2.	शौर्य चक्र	11
3.	सेना/ नौ सेना मैडल	32
4.	मैन्सन इन– डिस्पैच	07

वीरता पदक पुरस्कार की राशि का विवरण

क0 सं0	पदक	एक मुस्त अनुदान	वार्षिकी
1.	परमवीर चक्र	25,00,000	1,50,000
2.	अशोक चक्र	25,00,000	1,20,000
3.	सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल	5,00,000	30,000
4.	महावीर चक्र	1,15,000	1,14,000
5.	कीर्ति चक्र	15,00,000	1,00,000
6.	उत्तम युद्ध सेवा मेंडल	4,00,000	24,000
7.	वीर चक्र	10,00,000	66,000
8.	शौर्य चक्र	10,00,000	50,000
9.	युद्ध सेवा मेंडल	3,00,000	18,000
10	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल	5,00,000	24,000
11.	मेंशन–इन–डिस्पैच	2,50,000	12,000

Sl.No.	Army No.	Rank	Name	Unit	Name of Medal	Home Address (Permanent) Village	Post	Teh.	Date of Award	Remarks
1	JC35868	H/Capt	Gaje Ghale	GR	VC	Alexandra lines, Almora		Alm	1945	Expired
2	6574273	LNk	Budh Singh	KR	Vrc	Lakharkot	Kulanteshwar	Salt	1948	_
3	JC61328	H/Capt	Smt Bachuli Devi w/o Late Har Singh	KR	Vrc & Bar	Bhanoli	Bhanoli	Bha	1948	Posthumously
5	8103	AM	G. C. S. Rajwar	IAF	Vrc	Pipna	Tamadhaun	Bhi	1971	_
6	IC-30365	Col	Jayant Thapa	2/3GR	SC	Narsinghbari	Almora	Alm	1978	_
7	IC-36840	Col	Smt Rama Bhandari w/o Bahadur Singh Bisht	4/3GR	SC	Beoli	Jamoli	Rkt	1986	Posthumously
8	13619642	Ptr	Smt Tulsi Devi m/o Late Prakash Chandra	3 Para	SC	Gauli	Bhanoli	Bha	27-Jan-96	Posthumously
9	4188364	Sep	Smt Shanti Devi m/o Late Sep Chandan Singh	19 KR	SC	Bhandargaon	Bagwalipokhar	Dwt	26-Jan-98	Posthumously
10	IC-44725	Maj	Smt Archna Sati w/o Late Mahesh Chandra	BEG	SC	Siwali	Uprari	Rkt	14-Jun-95	Expired
11	IC-39611	Col	S K Joshi	Garh	SC	Darmar	Darmar	Rkt	29-Aug-99	_
12	JC-74651	Sub	Ganesh Nath	AR	SC	Naugaon	Doulaghat	Alm	2009	-
13	JC-57157	Lt Col	Sunder Singh Bisht		SC	Dharnaphar	Dewalikhet	Alm	2008	-
14	JC-420797	Nb Sub	Ramesh Chand Pandey	KR	SC	Tallachirgaon	Kafalta	Alm	2007	-
15	JC-75907	Sub	Manohar Joshi	KR	SM	Mala	Chanoda	Som	1-Jan-86	
16	JC115838	N/Sub	Keshar Singh	KR	SM	Khania	Ranikhet	Rkt	1-Jan-86	_
17	IC-34472	Col	M Bahughani	J&K	SM	Rawaikhan	Sharphatak	Jainti	1-Jan-86	_ _
18	IC-29100	Maj	Late Mahendra P. Singh	KR	SM	Sangura	Silormahadev	Rkt	1-Jan-86	_
19	IC-17398	Col	Bhuwan Chandra	7/8GR	SM	Sudamapuri	Ranikhet	Rkt	1-Jan-86	_
20	JC107095	S/Maj	Dungar Singh	16 Gds	SM	Chanoli	Bolani	Rkt	1-Jan-86	_
21	4178260	Nk	Dev Singh Bhakuni	KR	SM	Sail	Chanoda	Som	15-Aug-97	_
22	4177411	Hav	Smt Janki Devi w/o Late Jeevan Singh	3 KR	SM	Chauna	Daulaghat	Alm	26-Jan-98	Posthumously
23	14700648	Hav	Smt Meera Devi w/o Late Tam Bahadur Chhetri	Naga	SM	Chilivanaula	Chilivanaula	Rkt	15-Aug-99	Posthumously
24	IC-39611	Col	Suresh Kumar Joshi	Garh	SM	Darmar	Darmar	Rkt	15-Aug-99	_
25	14707222	Nk	Smt Sarswati Maya Ghale w/o Late Hari Bahadur Ghale	Naga	SM	Dugalkhola	Almora	Alm	15-Aug-99	Posthumously
26	JC538579	Sub	Dalip Singh	18 KR	SM	Nag	Bhaunigar	Som	26-Jan-04	Posthumously
27	_	MCMEII	Nandan Singh	INS	NSM	Gwali	Syalde	Bhi	26-Feb-02	_
28	4066298	Nb Sub	Heera Singh	Garh	SM	Bajram	Rampur	Chau	26-Jan-00	_
29	13690146	Gdsm	Sub Bishan Datt F/O Late Naveen Chandra Joshi	5 Gds	SM	Mahela	Patalibagar	Alm	26-Jan-92	Posthumously

30 / 45	[illegible]	Hav / Col	[illegible] Singh Rautela	[illegible]	SM / M-in-D	[illegible]	[illegible]	Rkt / Alm	15-Aug-03 / 1992	_
31	4179495	Hav	Amar Singh	4KR / Mech	SM	Basan	Dhyuli	Jainti	15-Aug-03	_
46	149908221	Nk	Puran Chandra Lohani	Inf	M-in-D	Lohana	Takula	Alm	2000	
32	14701203	Sub	Gopal Singh	8KR	SM	Jhalam	Dhamdewal	Rkt	15-Aug-04	_
47	4144838	Hav	Sher Singh	KR	M-in-D	Balsuna	Nayal	Alm	1966	
33 / 48	[illegible]	Lt Col / Nk	Smt Champa Bisht w/o [illegible] Singh Bisht	Para / Inf	SM / M-in-D	[illegible]	[illegible]	Rkt / Alm	15-Aug-04 / 2008	- / Posthumously
49	14703476	L/Nk	Suresh Chandra	1 Naga	M-in-D	[illegible]	Uppari	Alm	2008	-
34	IC-37802F	Col	Harsh Kumar Tewari	J&K	SM	Mohalla	Almora	Alm	1998	-
35	272083W	Nb Sub	Dalip Kumar Joshi	168 Fd Regt	SM	Mallabishwa	Ganiyadholi	Alm	1999	-
36	4184805	Hav	Harish Chandra Singh	KR	SM	Bachhari	Bhulgaon	Alm	2007	-
37	4049444	Rfn	Darwan Singh	5 Garh	SM	Tallatajpur	Ganai	Alm	1974	-
38	JC-539522P	Sub	Mahander Singh	3 KR	SM	Kholiyabaj	Dunagiri	Alm	2008	-
39	IC-68482	Capt	Kishan Singh Rawat	1 PARA	SM	Bijran	Dehgat	Alm	2010	-
40	G/011415	Hav	Diwan Singh	AR	SM	Silpar	Bhabu	Alm	2009	-
41	JC-216419	Sub	Smt Susila Devi w/o Late Bhawani Datt Joshi	Mech Inf	SM	Bhanotiya	Rampur	Alm	1998	
42	4173405	Hav	Smt Pushpa Devi w/o Late Mohan Singh	RR	SM	Gangalakotli	Kharam	Alm	1996	Posthumously
43	4147350	Sep	Smt Kamla Devi w/o Late A N Singh	KR	M-in-D	Naugaon	Mahakaleshwar	Rkt	1965	_
44	IC-445012	Col	A K Verma	14 RR	M-in-D	Karkhana Bazar	Almora	Alm	1989	_

List of War Disabled Soldiers

Sl.No.	Army No.	Rank	Name	Campaign/ Confilict	Unit	Home Address (Permanent) Village	Post	Teh.	Date of Retirement	% of Disablity	Remarks
1	4142817	LNk	Kharak Singh	1962	KR	Dhankholi	Bazwar	Alm	26-Apr-71	40	
2	4147828	Sep	Keshar Singh	1962	KR	Dungri	Barechhina	Alm	17-Aug-70	20	Re-emplo Reasearc
3	6597588	Sep	Govind Singh	1962	ASC	Kharia	Pantkotli	Rkt	19-Jun-64	20	Re-emplo Ranikhet
4	6276749	Hav	Daulat Singh	1965	Sig	Chawoli	Barechhina	Alm	30-Sep-83	_	Re-emplo
5	4149956	Sep	Chatur Singh	1965	KR	Tana	Ranman	Som	18-Jul-70	40	_
6	4159967	Sep	Khim Singh	1971	KR	Gairarh	Chitreshwar	Dwt	3-Feb-73	_	Re-emplo
7	4150516	LNk	Heera Ram	1971	Gds	Bergaon	Bergaon	Alm	2-Dec-73	80	Re-emplo
8	4049444	LNk	Darban Singh	1971	Garh	Purana lahuba	Panduwakhal	Bhi	28-May-78	70	Re-emplo
9	13681875	Gdsm	Soban Singh	OP_PAWAN	Gds	Dharad	Pantgaon	Rkt	21-Nov-90	100	_
10	4173455	Hav	Mahesh Chandra	Rakshak	2 KR	Rashyaragaon	Someshwar	Som	30-Sep-03	_	_
11	JC-53862	Nb Sub	Paryag Raj Singh	CI Ops	KR	Garura	Chanoda	Someshwer	-	70%	-
12	4130084	Sep	Jasod Singh	Kashmir	KR	Bhagtola	Bhagtola	Hawalbagh	-	80%	-

13	**1182258**	**Sep**	**Bhadur Singh**	**Indo-Pak**	**Arty**	**Dugarakot**	**Ratagal**	**Almora**	**1965**	**80%**	**-**
14	**4150505**	**Sep**	**Puran Singh**	**Indo-Pak**	**KR**	**Sarka**	**Barigaon**	**Almora**	**1965**	**100%**	**-**
15	**4149221**	**Sep**	**Sher Singh**	**Indo-Pak**	**KR**	**Suri**	**Suri**	**Almora**	**1965**	**1000%**	

बिन्दु–13 रियायतों, अनुज्ञा–पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण ।

पूर्व सैनिक अधिकारी / पी0बी0ओ0आर0 द्वारा अपने पुनर्वास हेतु राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक, कृषि विकास बैंक या किसी अन्य सरकारी वित्तीय संस्थान से पुनर्वास हेतु लिए गए ऋण (Term Loan/Cash Credit) पर निम्न प्रकार की छूट प्रदान की जाती है :–

अ. ₹ 1,00,000/– तक 10% छूट देय होगी ।

ब. ₹ 1,00,000/– से ऊपर ₹ 05 लाख तक ऋण की शेष राशि पर 5% की छूट देय होगी ।

अर्हताऐं ।

अ. आवेदन पत्र ऋण लेने की तिथि से 1 वर्ष के अन्दर संस्था कार्यालय में प्रेषित किया जाना चाहिए, अन्यथा कालातीत माना जायेगा ।

ब. छूट केवल एक ही ऋण पर ही देय होगी ।

स. प्रार्थना पत्र के साथ नान इम्पायमेंन्ट सर्टिफिकेट उपभोग प्रमाण पत्र, बैंक खाते की नकल, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, पूर्व सैनिक पहिचान पत्र की छाया प्रति, यदि वाहन क्रय किया गया हो तो वाहन के निबन्धन एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है सभी प्रपत्र सत्यापित होना अनिवार्य है ।

द. पूर्व सैनिक अधिकारी संस्था द्वारा संचालित इसी योजना के अन्तर्गत अनुदान के पात्र होंगे ।

य. जो पूर्व सैनिक सेवानिवृत्त होने के उपरान्त सरकारी सेवाओं में पुनर्नियोजित हुए हों, उन्हें व अनकी विधवा को पुनर्नियोजित होने पर यह अनुदान अनुमन्य नहीं होगा ।

वर्ष 2012–13 में 07 पात्रों के लिए प्रार्थना पत्र प्रेषित किये गये जिसमें ₹ 1,93,800/– की राशि पात्रों को वितरित की गयी ।

बिन्दु–14 कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम ।

कृत्यों के निर्वहन हेतु स्थापित मानक/नियम इस विषय में निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये नियमों/श्शासनादेशों के अनुसार कार्यो का निर्वहन किया जाता है ।

बिन्दु–15 किसी इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे ।

समस्त सूचनायें वैबसाइट द्वारा प्राप्त की जा सकती है ।

(क) कार्यालय की समस्त सूचनायें :– E-mail- zskalm@yahoo.com

(ख) निदेशालय सैनिक कल्याण देहरादून :– dskddn@gmail.com

बिन्दु–16 सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लोक उपयोग के लिये व्यसस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण ।

पूर्व सैनिक/विधवाओं को सूचना प्रदान करने हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम के अनुसार भ्रमण कर विकास खण्ड ब्लाक के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है । जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर एक सहायक अधिकारी एवं एक कल्याण कार्यकर्ता का पद इसी हेतु स्वीकृत है । सैनिकों की सम्सयाओं के समाधान हेतु कार्यालय में तथा सरकार द्वारा टोल फ्री नम्बरों की भी व्यवस्था की गई है ।

(क) कार्यालय दूरभाष संख्या– 05962–232210 जो अधिकारी महोदय के कक्ष में है ।

(ख) टोल फ्री नं0 – 18001804008 जो सहायक अधिकार महोदय के कक्ष में है ।

(ग) निदेशालय टोल फ्री नं0– 18001804007 जो उप–निदेशक महोदय के कक्ष में है ।

बिन्दु–17 ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए ।

1. **विवरणिका – एक नजर**

अ. पूर्व सैनिक – थल सेना–9927,वायु सेना–88, नौ सेना–202
ब. विधवायें (युद्ध विधवाओं सहित) – थल सेना–3380, वायु सेना–32, नौ सेना– 35

2. द्वितीय विश्व युद्व के पूर्व सैनिक (पेंन्शन न पाने वाले) एवं उनकी विधवाएं :–

अ.	पूर्व सैनिक	–	14
ब.	विधवाएं	–	214
	कुल योग		228

3. सशस्त्र सेनाओं में सेवारत सैनिक – तीनों सेनायें लगभग – 1000

4. प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत होने वाले सैनिक – थल सेना–100, वायु सेना–10, जल सेना–10 (लगभग)

5. पूर्व सैनिको का जिले की जनसंख्या में प्रतिशत – 2.1 प्रतिशत ।

6. सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों का जिले की जनसंख्या में प्रतिशत – 9.7 प्रतिशत ।

<u>उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था से अनुमन्य आर्थिक सहायता</u>

शैक्षिक सहायता – निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे उत्तराखण्ड निवासी पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं तथा उनके आश्रितों को उनके सन्मुख दर्शाई गई धनराशि की सीमा तक शैक्षिक सहायता प्रदान की जायेगी :–

अ. **सामान्य शिक्षा**

1. कक्षा 11 व 12 हेतु (कक्षा 10 में कम से कम 50 प्रतिशत अंक) — ₹ 2000/— तक प्रतिवर्ष ।

2. सभी स्नातक कक्षाओं हेतु (कक्षा 12 में कम से कम 50 प्रतिशत अंक) — ₹ 3000/— तक प्रतिवर्ष ।

3. सभी स्नाकत कक्षाओं हेतु(बी0ए0बी0एस0सी0 में कम से कम 50 प्रतिशत अंक)— ₹ 4000/— तक प्रतिवर्ष ।

4. किसी भी विषय में (पी.एच.डी. एल.एल.डी. एवं एम.फिल) या शोध कार्य करने वाले विद्यार्थी जिनके द्वारा किसी अन्य संस्था या विभाग से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/अनुदान प्राप्त न किया गया हो और कीं भी सेवारत न हों । —₹ 10000/— तक प्रतिवर्ष ।

ब. <u>मेधावी छात्रों हेतु विशेष छात्रवृति ।</u>

1. इन्टरमीडिएट कक्षाओं हेतु (80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर हाईस्कूल में) — ₹ 12000/— तक प्रतिवर्ष ।

2. स्नातक कक्षाओं हेतु । (80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर इन्टरमीडिएट में) — ₹ 15000/— तक प्रतिवर्ष ।

3. स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु (70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर स्नातक में) — ₹ 18000/— तक प्रतिवर्ष ।

स. <u>तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा ।</u>

1. **सर्टिफिकेट कोर्सेज**

फिटर, वैल्डर, टर्नर इलैक्ट्रीशियन/इलैक्ट्रोनिक प्लम्बर, मैकेनिक,कटिंग एवं स्वींईग, पलम्बर, ड्राफ्टमैन, पेन्टर, सर्वेयर, मोल्डर, हैन्ड्रीक्राफ्ट एवं आफिस औटोमेशन, स्टेनोग्राफी, हिन्दी ट्रान्सलेटर,डी.ई.ओ. } ₹ 3000/— तक प्रतिवर्ष ।

सैक्रेटेरियल एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

2. <u>डिप्लोमा कोर्सेज</u>

मार्डन आफिस मैनेजमैन्ट, इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी, कम्प्यूटर नैटवकिंग एवं कम्यूनिकेशन, पौलीटैक्निक इस्टिटयूशंस के कोर्सेज (इलैक्ट्रीकल, मैकेनिकल, सिविल इन्जीनियरिंग, औटो मोबाइल), मेडिकल लैब, इन्टीरियर डिजाइनिंग, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, मेडिकल लैब अैक्नोलोजी, फैशन अैक्नोलोजी, गारमैनट टैक्नोलोजी, बैटिनही टैक्नीशियन, बी.टी.सी./बी.पी.टी., होटल मैनेजमेंन्ट एवं ऐरोब्यूटिक्स व व सैक्रेट्रियल पाठ्यक्रम ।	₹ 4500/– तक प्रतिवर्ष ।

3. बी.एड./बी.पी.एड./एम.एड./एम.पी.एड. बी.एस.सी./एम.एस.सी (कृषि/हार्टीकल्वर/होम साइन्स), होस्पीटेलिटी इन्डस्ट्री, फौरेस्ट्री, फार्मेसी (एलोपैथी/आयुवैदिक/होमोपैथी), नर्सिग कोर्सेज, वैटिनरी, बी.फार्मा/एम.फार्मा, जरनालिज्म, बायोटेक्नालोजी अर्टिटैक्चर, फिजियोथेरेपी, पैथालाजी, फिशरी सांइंस, फैशन एण्ड डिजाइंन टैक्नोलोजी, एल.एल.बी./एल.एल.एम.,बी.एच.एच.एम (सी.टी.)/ टूरिज्म/ट्रैवल, सी.ए. बी.बी.ए./एम.बी.ए., बी.सी.ए./एम.सी.ए. एन्ड पी.जी.डी.एम. । — ₹ 6000/– तक प्रतिवर्ष ।

4. वी.ई. बी.टैक, एम.बी.बी.एस., वी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस. बी.डी.एच. एण्ड बी.वी.एस. —₹ 12000/– तक प्रतिवर्ष ।

द. <u>पूर्व सैनिको के अनाथ छात्रों तथा विधवाओं के पात्रों हेतु छात्रवृति ।</u>

अ. कक्षा 1 से 8 तक – ₹ 3000/– तक प्रतिवर्ष ।

ब. कक्षा 9 से 12 तक – ₹ 6000/– तक प्रतिवर्ष ।

ध. <u>चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति –</u> केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ योजना चलाये जानेके फलस्वरूप यह योजना केवल उन्ही पूर्व सैनिकों को अनुमन्य है जो ई.सी.एच.एस. के सदस्य बनने के पात्र नहीं है ।

अ. सामान्य चिकित्सा हेतु – ₹ 10000/– अधिकतम एव वर्ष में ।

ब. विषेश चिकित्सा हेतु – ₹ 100000/– तक या चिकित्सा व्यय का 75 प्रतिशत जो भी कम हो ।

<u>**सैनिक स्कूल/आर.आई.एम.सी./मिलीटरी स्कूल ।**</u> इन स्कूलों में प्रवेश पाने वाले पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के आश्रितों को को कोचिंग पर किये गये व्यय का प्रतिपूर्ति के रूप में एकमुस्त ₹ 10000/– का अनुदान दिया जाता है ।

प. <u>**एन.डी.ए./आई.एम.ए/ओ.टी.ए**</u> । एन.डी.ए./आई.एम.ए/ओ.टी.ए में प्रवश पाने वाले पूर्व सैनिको एवं सैनिक विधवाओं के आश्रितों को पूर्व एस.एस.बी. कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 10000/– का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है ।

फ. <u>**एन.डी.ए. कैडेट हेतु जेब खर्च ।**</u> एन.डी.ए. में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के अश्रितों को जेब खर्च हेतु ₹ 500.00 प्रतिमाह का अनुदान दिया जाता है ।

ब. <u>**पूर्व सैनिक विधवाओं की पुत्रियों/पूर्व सैनिकों अनाथ पुत्रियों की शादी हेतु सहायता**</u> । पूर्व सैनिक विधवाओं की पुत्रियों/पूर्व सैनिकों अनाथ पुत्रियों की शादी हेतु ₹ 50,000/– की धनराशि एक मश्त अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है ।

भ. <u>**विधवाओं के पुनः विवाह हेतु आर्थिक सहायता ।**</u> सैनिक विधवाओं के पुनः विवाह को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गयी है जिसमें पुनः विवाह करने पर ₹ 1,00,000/– की धनराशि सावधि जमा के रूप में दी जाती है ।

म. <u>**पूर्व सैनिको को व्हील चेयर की सहायता ।**</u> अपंग पूर्व सैनिकों को उनके आवेदन के आधार पर व्हील चियर संस्था

मुख्यालय द्वारा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है ।

य. <u>**पूर्व सैनिको की विधवाओं को सिलाई/बुनाई मशीन खरीदने में सहायता ।**</u>पूर्व सैनिक विधवाओं को स्वराजगार हेतु सिलाई मशीन क्रय करने के लिए ₹ 2,000/– तथा बुनाई मशीन क्रय करने के लिए ₹ 2500/– का अनुदान दिया जाता है ।

र. <u>**दैवीय आपदा सहायता –**</u> आर्थिक रूप से कमजोर व बेरोजगार पूर्व सैनिको एवं सैनिक विधवाओं को देवी आपदा जैसे–

भूकंप, भूस्खलन, अग्नि कांड, बाढ. आदि से निजी आवासीय घर जिसमें वह स्वयं निवास करते हों, के 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त हो पर,आशिंक प्रतिपूर्ति के लिए एकमुश्त ₹ 30,000/– की अर्थिक सहायता दी जाती है वशर्ते उन्हें किसी अन्य श्रोतों से उक्त आपदा हेतु कोई आर्थिक सहायता प्राप्त न हुई हो ।

व. <u>**प्री–कम पोस्ट रिलीज ट्रेनिंग हेतु छात्रवृत्ति ।**</u> इस योजना के अन्तर्गत सेवारत सैनिकों को प्रशिक्षण हेतु सेना से

सेवानिवृत्ति होने की तिथि से एक वर्ष/छह माह पूर्व ही आई.टी.आई में प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर यह प्रशिक्षण उनके सेवा समाप्त होने के पश्चात भी जारी रहता है तो शेश प्रशिक्षण काल हेतु उन्हें संस्था में ₹ 5,00,/– प्रतिमाह अनुदान दिया जाता है ।

श. **अपंग पूर्व सैनिक ।** सैनिक पुनर्वास संस्था द्वारा पेरापेलेजिक रिहेविलिटेशन केन्द्र, मोहाली(चंडीगढ़), पेरापेलेजिक रहेविलिटेशन केन्द्र, किरकी(पूणे) तथा सेन्ट डन्सटनस्(इंडिया) फंड देहरादून को भरण पोषण में सहायता हेतु प्रति पात्र प्रतिवर्ष ₹ 14,600/–अनुदान दिया जाता है ।

पूर्व सैनिक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण ।

अ.	जी.वी.पंत विश्व विद्यालय में स्नातक पाठ्क्रम मे B.Sc(Agri), B.Sc(Vet) B.Sc(Home Science), B.Tech	– 04 सीट
ब.	राजकीय आई0टी0आई0	– 08 प्रतिशत
स.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज	– 02 प्रतिशत
द.	राजकीय पालिटेक्निक	– 03 प्रतिशत
य.	एम.बी.ए./एम.सी0ए.	– 02 प्रतिशत
र.	बी.टी.सी.	– 03 प्रतिशत
ल.	बी.एड.	– 15 कृपांक अंक (प्रवेश परीक्षा में)
व.	एल.एल.बी.	– 05 कृपांक अंक (प्रवेश परीक्षा में)

पूर्व सैनिक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण ।

अ.	जी.वी.पंत विश्व विद्यालय में स्नातक पाठ्क्रम मे B.Sc(Agri), B.Sc(Vet) B.Sc(Home Science), B.Tech	– 04 सीट
ब.	राजकीय आई0टी0आई0	– 08 प्रतिशत
स.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज	– 02 प्रतिशत
द.	राजकीय पालिटेक्निक	– 03 प्रतिशत
य.	एम.बी.ए./एम.सी0ए.	– 02 प्रतिशत

र.	बी.टी.सी.	– 03 प्रतिशत
ल.	बी.एड.	– 15 कृपांक अंक (प्रवेश परीक्षा में)
व.	एल.एल.बी.	– 05 कृपांक अंक (प्रवेश परीक्षा में)

स. **केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (रक्षा मंत्री विवेकाधीन) से अनुमन्य आर्थिक सहायता–**

1. **केवल नॉन पैंशनर**

अ. 65 वर्ष से अधिक की आयु वाले पूर्व सैनिक/विधवाओं को ₹ 1,000/–प्रतिमाह प्रतिवर्श आवेदन करना अनिर्वाय है ।

ब. अधिकतम ₹ 30,000,/– चिकित्साअनुदान ।

स. पूत्री की शादी हेतु हवलदार रैंक तक ₹ 16,000/–

द. शैक्षिक अनुदान हवलदार रैंक तक ₹ 1,000/–प्रतिमाह 02 बच्चों तक अनुमन्य ।

2. **नॉन पैंशनर एवं हवलदार पद तक के पूर्व सैनिकों हेतु ।**

अ. **मकान मरम्मत** (केवल 100 प्रतिशत अशक्त पूर्व सैनिकों हेतु) ₹ 20,000,/– दैविक आपदा जैसे बाढ, भूकम्प, भूस्खलन, अग्निकांड जिसका राज्य/केन्द्र द्वारा गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित किया हो ।

ब. **दाह संस्कार** – इस हेतु पूर्व सैनिक की मृत्यु पर उसके दाह संस्कार के लिए सभी विधवाओं को ₹ 5,000,/–एक मुस्त ।

स. **पुत्री विवाह** अनुदान एवं विधवा द्वारा दूसरी शादी करने पर – ₹ 16,000,/–एक मुस्त ।

द. **शैक्षिक अनुदान** – लड़कों को कक्षा 2 से स्नातक तक ₹ 1000/– प्रति माह ।,

ध. **विधवाओं हेतु** व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए अधिकतम ₹ 20,000,/– एक मुस्त ।

अधिकारी कैडैट्स के लिए – एक बच्चे को जो कि ओ0टी0ए0/एन0डी0ए0/आई0एम0ए0 में प्रशिक्षण के दौरान ₹ 1,000,/–प्रति माह ।

3. **अनाथ पुत्री के लिए वार्शिक अनुदान –** पूर्व सैनिक की लड़की की उम्र 21 होने तक या शादी हाने

तक जो पहले हो, एक पुत्र पूर्व सैनिक का कक्षा 12 तक या 18 साल की उम्र तक जो भी पहले हो ₹ 1000,/– प्रति माह – सभी पदो ंके लिए ।

4. अनाथ पुत्री को मकान मरम्मत के लिए केवल एक पुत्री हेतु ₹ 20,000,/– एक मुस्त।

केन्द्र/राज्य सरकार से किसी भी अनुदान को प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिक/सैनिक विधवाओं को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र संलग्न करना आवश्यक होता है :–

क. पूर्व सैनिक के सेवा पुस्तिका की सत्यापित छाया प्रति ।
ख. पूर्व सैनिक/विधवा के परिचय पत्र की सत्यापित छाया प्रति ।
ग. अंक तालिका, राशन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति, भाग दो रजिस्टर की सत्यापित छाया प्रति, अन्य प्रमाण पत्र जैसा कि प्रार्थना पत्रों में वर्णित किया गया हो ।